आदेश व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 230/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा केपीटल हाउसिंग फाईनेन्स लि.

पता एल/जी, दी गुमान फर्स्ट, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शरद पुरोहित।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. राजीव कुमार वर्मा

1.पता–फ्लैट/अपार्टमेन्ट फ्लैट नं. एफ–301, थर्ड फलोर, डीम्स हाईटस, प्लाट नं. 14 मंगल रेजीडेन्सी, स्कीम, रेवेन्यू विलेज वड गोहनपुरा, सांगानेर, जयपुर

2.सी–868, लेन नम्बर 12, वार्ड नम्बर 23, देवी नगर, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर एवं

3.मैसर्स इलेक्ट्रो जंक्शन 29, सुल्तान नगर, गुर्जर की थडी, गोपालपुरा, जयपुर ।

2. मनीषा वर्मा

1..पता–फ्लैट/अपार्टमेन्ट फ्लैट नं. एफ–301, थर्ड फलोर, डीम्स हाईटस, प्लाट नं. 14 मंगल रेजीडेन्सी, स्कीम, रेवेन्यू विलेज वड गोहनपुरा, सांगानेर, जयपुर

2.सी–868, लेन नम्बर 12, वार्ड नम्बर 23, देवी नगर, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर एवं

3.मैसर्स श्री वेदांश इन्फोटेक सी–868, लेन नम्बर 12, वार्ड नम्बर 23, देवी नगर, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर ।

3. राजीव कुमार

1.पता–फ्लैट/अपार्टमेन्ट फ्लैट नं. एफ–301, थर्ड फलोर, डीम्स हाईटस, प्लाट नं. 14 मंगल रेजीडेन्सी, स्कीम, रेवेन्यू विलेज वड गोहनपुरा, सांगानेर, जयपुर

2.सी–868, लेन नम्बर 12, वार्ड नम्बर 23, देवी नगर, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर एवं

3.एसआर ट्रेडिंग कम्पनी डी–9/130 चित्रकूट स्कीम, जयपुर।

4. मीना वर्मा

1.पता–फ्लैट/अपार्टमेन्ट फ्लैट नं. एफ–301, थर्ड फलोर, डीम्स हाईटस, प्लाट नं. 14 मंगल रेजीडेन्सी, स्कीम, रेवेन्यू विलेज वड गोहनपुरा, सांगानेर, जयपुर

2.सी–868, लेन नम्बर 12, वार्ड नम्बर 23, देवी नगर, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर एवं

3.मैसर्स वर्मा कन्सट्रक्शन, सी–868, लेन नम्बर 12, वार्ड नम्बर 23, देवी नगर, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर ।

अप्रार्थीगण ऋणी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश दिनांकः 01.02.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मनीषा वर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय फ्लैट/अपार्टमेन्ट फलैट नम्बर एफ–301, थर्ड फलोर, डीम्स हाईटस, प्लाट नं॰ 14 मंगल रेजीडेन्सी स्कीम, रेवेन्यू विलेज बड मोहनपुरा, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल कार्पेट एरिया 851.14 वर्गफिट एवं बिल्टअप एरिया 1088 वर्गफिट को बन्धक रख कर 42,98,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.03.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर, 2015 के कम संख्या 37 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 42,98,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 43,48,919/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.03.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत रो अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय सस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर
जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मनीषा वर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय फ्लैट/अपार्टमेन्ट फलैट नम्बर एफ–301, थर्ड फलोर, ड्रीम्स हाईटस, प्लाट नं. 14 मंगल रेजीडेन्सी स्कीम, रेवेन्यू विलेज बड मोहनपुरा, सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल कार्पेट एरिया 851.14 वर्गफिट एवं बिल्टअप एरिया 1088 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपयुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
9. आदेश आज दिनांक 01.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

01/02/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर